

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुमान-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

(1)

पत्रांक 4079 प्र030/सिंचाई/का0-2/ई-10/स्था0

दिनांक : 08 जून, 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता अनुसंचितीय अधिकारी में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-3 में अंकित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा	हेतु अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री पारस काला/ 10.03.82/देहरादून	प्रमुख अभियन्ता (कार्मिक-1) सिंचाई विभाग, देहरादून	मुख्य अभियन्ता रत्तर- ।।, सिंचाई विभाग, श्रीनगर	धारा-07(क)(ख)	अधिनियम की धारा 7(ग) में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यभार महण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा 10 वर्ष, जो भी पहले हो।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्पाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पंचात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकें।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडाल्पक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनियोगित किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

[एन0के0 शमी]
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : 4079 /प्र030/कार्मिक-2/तदिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- मुख्य अभियन्ता, रत्तर- ।।, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, श्रीनगर।
 - वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1/बजट), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - सम्बन्धित कोषाधिकारी।
 - विभागी पीर्टल/वैबसाईट पर अपलोड हेतु
 - वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
 - कट फाईल हेतु।

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता